(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
182 / 12	24.07.2012	13.2.2020

1. सरदारा पुत्र श्री भीवंला जाति अहीर निवासी ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर (फौत)
   [1/1]- बहादुर (फौत)
   [1/1/1]- रामादेवी पत्नी बहादुर
   [1/1/2]-टीनूराम पुत्र बहादुर जाति अहीर ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम
   [1/1/3]- कमलेश पुत्री बहादुर पत्नी महीपाल जाति अहीर ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला–अलवर (राज0)
   [1/1/4]-शर्मिला पुत्री बहादुर सिंह पत्नी संदीप जाति अहीर ग्राम मौहनपुर तहसील बावल जिला रेवाडी (हरि0)
   [1/1/5]-विमलेश पुत्री बहादुर पत्नी सुभाष जाति अहीर ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
   [1/1/6]-सुमन पुत्री बहादुर सिंह पत्नी ललित जाति अहीर ग्राम मौकलवास
   [1/1/7]- सोना पुत्र बहादुर सिंह पत्नी सोनू जाति अहीर ग्राम मौकलवास तहसील व जिला गुरूग्राम हरि0
   [1/2]- भागमल (फौत)
   [1/2/1]- धमेन्द्र
   [1/2/2]- संदीप
   [1/2/3]- प्रदीप पुत्रांन भागमल जाति अहीर निवासी ग्राम रामपुर
   [1/3]- मनोहरलाल
   [1/4]- पप्पू पुत्रांन सरदारा
   [1/5]- कृष्णा
   [1/6]- भगोती
   [1/7]- बाला पुत्रीयान सरदारा जाति अहीरान ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0
   [1/8]- धनपती पुत्री सरदारा पत्नी [illegible] (फौत)
   [1/8/1]- प्रमोद पुत्र
   [1/8/2]- सरोज पुत्री
   [1/8/3]- मुकेश पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

[1/8/4]- महेश पुत्र धनपति पत्नी भीखराम जाति अहीर ग्राम रामपुर हाल आबाद कुरावटा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरि0)

:– वादीगण

:: **बनाम** ::

1.कृष्णपाल पुत्र श्री रूपराम जाति अहीर निवासी खिरदपुर (गौतोली) तहसील तिजारा जिला–अलवर। हाल निवास रामपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

2.सवितादेवी पत्नि कृष्णपाल जाति अहीर निवासी खिरदपुर (गौतोली) तहसील तिजारा जिला–अलवर। हाल निवास रामपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी जेर
दफा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री समय सिंह अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नरहरि व्यास अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक दावा इस आश्य का पेश किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 532 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर स्थित है। जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। आराजी मुतदाविया खसरा संख्या 532 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दियात में शामलात में खातेदारी वादी दर्ज हे वादी का आराजी मुतदाविया में 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 का क्रमशः 1/3–1/3 हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी का दर्ज है यद्यपित आराजी मुतदाविया को वादी के पिता भींवला वो पूर्व खातेदारान बनवारी वो प्यारेलाल ने सहुलियत के हिसाब से अर्से दराज पूर्व करीब 45 वर्षो पूर्व आपस में [illegible] हमी तौर पर कर अपने हिस्से अनुसार मौके पर डोल कायम कर काबिज हो [illegible] बदस्तूर उसी कदर मौके पर काबिज काश्त आराजी है। और वादी का भी उसी [illegible] मुतदाविया भूमि के तरफ पूर्वी हिस्से पर डोल कायम कर कब्जा काश्त [illegible] वर्षो के दरम्यान अपने कब्जा शुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

हिस्से की भूमि में काफी डवलपमैन्ट किया है उसे विकसित कर काश्त के काबिल बनाया तथा सीसम के पेड लगाये एवं सिचाई हेतु ट्यूबवैल लगाया हुआ है। जिस पर विधुत सम्बन्ध वादी के नाम जारी कराया है एवं सीसम के पडो की कीमतन करीब तीन लाख रूपया है एवं कृषि औजार एवं यंत्र व पशुचारा रखने हेतु मकानात बनाये हुये है। एसी सूरत में वादी अपने हिस्से को कब्जे यानि कि आराजी मुतदाविया में वादी अपने 1/3 भाग तरफ पूर्व का तकसीम कराकर अलग से कुरे कायम कराकर जमाबन्दियात वो नक्शा ट्रैस में अंकन अमल कराने का अधिकारी है।

चूंकि मिन वादी अपने हिस्से को बहामी तौर पर प्रतिवादीगण से पूर्व खातेदारान के समय से ही डोल कायम कर मुतदाविया भूमि पर काबिज काश्त है महज राजस्व रिकोर्ड में इसलिए शामलात में शामिल हो गये कि पूर्व खातेदारान से कृष्णपाल ने भूमि खरीदी, तक भी प्रतिवादीगण के बह्ममी फैसलो में इन्टरविन करने का प्रयास किया जब भी वादी का दावा करना पडा एवं दौराने दावा प्रतिवादी नं0 2 ने भूमि को खरीद किया, तत्पश्चात बह्ममी फैसले को प्रतिवादीगण मान गये जिस पर दावा को नोटप्रेस किया गया। किन्तु दिनांक 18.07.2012 को प्रतिवादीगण बह्ामी फैसले को नही मानकर मिन वादी को व्यवधान पैदा करने का असफल प्रयास किया। यद्यपि बह्ामी तौर पर अपने हिस्से कब्जे के अनुसार काबिज है किन्तु राजस्व रिकोर्ड में शामलाती दर्ज होने वो बाई मिट्स बाउण्डस तकसीम नही होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा आये रोज वादी को इन्टरविन करने के कारण बाबत तकसीम दावा हाजा दायर करना लाजिम आया।

प्रतिवादीगण ने दिनांक 18.07.2012 को ऐलानिया तौर पर मिन वादी को धमकी दी है कि वो वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करेगे एवं वादी द्वारा विकसित की गई भूमि में खडे शीशम के पैडो को काटकर बचेगे एवं वादी के ट्यूवैल बोरिंग को हटायेगे एवं वादी को हिस्से की भूमि से बेदखल करेगे एवं दीगर जगह बेचान करेगे। यद्यपि वादी के अधिकार कानूनन रक्षित है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इंरादो में कामयाब हो गया तो वादी को अजहदहानि होगी कि जिसकी कीमत रूपयो में आंका जाना सम्भव नही है। ऐसी सूरत में वादी, प्रतिवादीगण को जार्ये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण आराजी खसरा संख्या 532 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम के 1/3 भाग तरफ पूर्व से वादी को जब्रन बेदख लना रके, ना वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत वो मदाखलत पैदा करे, ना वादी के शीशम के पेडो को जब्रन काट कर बेचान करे, ना रहन, बैय, हिबा, लीज इत्यादि से मुन्तकिल करे। मौका वो रिकोर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

दावा हाज के लिए बिनायदावी वो बिनायमुखासमत दिनांक 18.7.2012 को पैदा हुई जिस राज प्रतिवादीगण ने वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने व शीशम के पेडो को जब्रन काटकर बेचान करने वो टयूवैल बोरिंग को [illegible] वाने की धमकी दी जिससे दावाहाजा साधारणतया अन्दर अवधि पेश है।

आराजी मुतदाविया ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर स्थित है तथा पक्षकार भी न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार [illegible] है इसलिये वाद उक्त न्यायालय श्रीमान के श्रमवण योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः—

डिक्री तकासमा आराजी खसरा संख्या 532 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रायपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर में से वादी का 1/3 हिस्सा तरफ पूर्व को अलग किया जाकर खाता लगान अलग किया जावे एवं बाई मिट्स मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता अलग किया जाकर कुरेजात कायम किये जावे।

डिक्री हुक्मइम्तनाई दवामी बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर कि पारित की जावे कि आराजी खसरा संख्या 532 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम के 1/3 भाग तरफ पूर्व से वादी को जब्रन बेदखल ना करे, ना वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत वो मदाखलत पैदा करे, ना वादी के शीशम के पेडो को जब्रन काट कर बेचान करे, ना रहन , बै, हिबा, लीज इत्यादि से मुन्तकिल करे। मौका वो रिकोर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगंण को जरिये सम्मन तलब किया गया। आराजी खसरा संख्या 532 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित होना मुताबिक राजस्व रिकार्ड सही है एवं स्वीकार है। विवादित आराजी ख0सं0 532 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामपुर राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयात में शामलात खाता दरज है तथा विवादित आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा वो प्रतिवादीगण 1 , 2 का 2/3 हि0 दरज राजस्व रिकार्ड है। तथा बाकी तथ्य जो वादी ने वाद पत्र में दर्ज किया है गलत है स्वीकार नही है। चुंकि विवादित आराजी में 1/3 हि0 वादी का तरफ पूर्व को है। जिस पर वह काबिज व दखिल होकर उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है तथा तरफ पश्चिम को 2/3 हि0 पर मिन प्रतिवादीगण 1, 2 शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। हमने उपने हिस्से की आराजी में मकानात बनाए हुए है, बोरिंग कर विधुत संबंध लिया हुआ है। चुंकि वादी द्वारा पूर्व में भी एक राजस्व वाद इसही आराजी की बाबत न्यायालय श्रीमान में पेश किया था। जिसमें हम पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया था तथा दिनांक 27.06.2012 को स्वयं वादी ने ही लिख कर अदालत श्रीमान में अपना वाद बल्वे राजीनामा विड्रा करा लिया था। अब वादी ने बेजा तथ्यो के आधार पर वाद अदालत श्रीमान में पेश किया है कि जो काबिले खारीज है।

विवादित आराजी के 1/3 हि0 पर तरफ पूर्व को काबिज होकर उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है तथा हम 2/3 हि0 तरफ पश्चिम को काबिज होकर उपयोग उपभोग मे लेते चले आ रहे है। वादी ने स्वयं के हिस्से में मकानात बनाए हुए है, तथा हम प्रतिवादीगण ने अपने स्वयं के हिस्से की आराजी में मकानात बनाकर, टयूबैल विधुत संबंध लगाया हुआ है। पूर्व में भी वादी ने स्वयं ने ही वाद पेश किया [illegible] जो बरूवे राजीनामा स्वयं ने ही दिनांक 27.06.2012 को विड्रा करालिया था। अब [illegible] से हम प्रति0 को परेशान करने की नियत से वाद दायर किया है [illegible] काबिले [illegible]ज है। दिनांक 18.07.2012 को विड्रा करालिया था। अब पुनः बेजा[illegible] से हम प्रति0 [illegible] परेशान करने की नियत से वाद दायर किया है कि जो काबिले खारीज है। दिनांक 18.07.2012 की कहानी वादी ने मिथ्या बनावटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

मनघडन्त दर्ज दावा की है। दिनांक 18.07.2012 की कहानी वादी ने बनावटी मनघडन्त दर्ज दावा की है। वादी तरफपूर्व के हिस्से की आराजी पर 1/3 हि0 पर पहले से ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है आज दिन भी 1/3 हि0 पर तरफ पूर्व को काबिज होकर काश्त कर रहा है। मिन प्रति0 1, 2 अपने 2/3 हि0 पर तरफ पश्चिम को काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है अपने मकानात बनाए हुए है बोरिंग कर उसमें विधुत संबंध लिया हुआ है। वाद वादी– नाकाबिले पाबन्दी काबिले खारीज है।

दिनांक 18.07.2012 की कहानी वादी ने मनघन्त बनावटी दर्ज दावा की है वाद वादी बेरून मियाद काबिले खारिज है। वाद हेतुक वादी को कोई बिनाए दावी पेदा नही होती है। विवादित आराजी के 1/3 हि0 पर तरफ पूर्व को पहले से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण विवादित आराजी के 2/3 हिस्सा तरफ पश्चिम को काबिज काश्त करते चले आ रहे है। अतः वादी का वाद काबिले खारिज है।

प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में कहा कि जिमन न0 1 का पैरा आंशिक इतना स्वीकार है कि वाद में अंकित आराजी ख0 न0 532/6–10 बीघा ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम आराजी स्थित है। शेष वादी स्वयं सिद्ध करे एवं राज्य हित निहित नही है।

वाद में तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार है–

1. आया आराजी मुतदाविया खसरा सं0 532 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम में वादीगण का 1/3 हिस्सा वो प्रतिवादी सं0 1 व 2 का क्रमंशः 1/3, 1/3 हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी का है।

   :– जिम्मे वादी

2. आया आराजी मुतदाविया में से वादी का 1/3 हिस्सा तरफ पूर्व का अलग किया जाकर खाता लगान अलग कराने एवं बाई मीटस एण्ड बाउण्डस खाता अलग कराकर कुरेजाता कायम कराकर तकसीम कराने का वादी अधिकारी है।

   :– जिम्मे वादी

3. आया वादीगण, विरूद्ध प्रतिवादी हु0ई0दवामी की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

   :– जिम्मे वादी

4. अनुतोष

वाद पत्र में P.W-1 मनोहरलाल P.W-2 जगदीश व P.W-3 बालाराम के साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह कराई गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किये गये एवं साक्ष्य पेश करने से इंकार किया गया। दिनांक [illegible] को [illegible] द्वारा मुताबिक सहमति प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार कोटकासि[illegible] वि[illegible] प्रस्ताव भिजवान हेतु पत्र जारी किया गया। तहसीलदार कोटकासिम ने दिनांक 16 [illegible] 017 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय में भिजवाया जिस[illegible] अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रकट की। लेकिन प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने ऐतराज प्राथेना पत्र पेश [illegible]। जिस पर दिनांक 14.05.2019 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

सुनवाई कर तहसीलदार कोटकासिम को पुनः कुर्रेकायमी प्रस्ताव भिजवाने के लिए लिखा गया। तहसीलदार कोटकासिम द्वारा पुनः कुर्रेकायमी रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 को भिजवाई गई।

विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ताओं ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री करने पर अपनी सहमति प्रकट की ओर कहा कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री कर दिया जावे।

विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात व विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.06.2019 पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वांन अधिवक्ताओं का कथन है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री कर दिया जावे। तहसीलदार कोटकासिम द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी खं0 नं0 532/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम में सरदारा पुत्र भीवंला कौम अहीर साकीन देह खातेदार की रहेगी। इसी प्रकार खं0नं0 532/2 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम में कृष्णपाल पुत्र रूपराम, सविता देवी पत्नि कृष्णपाल संभाग कौम अहीर निवासी खिदरपुर (गौतोली) तहसील तिजारा खातेदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2020 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया

गया ।

धी[illegible] सिंह (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

(पर्चा डिक्री)

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
182/12	24.07.2012	

1. सरदारा पुत्र श्री भीवंला जाति अहीर निवासी ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर (फौत)

[1/1]- बहादुर (फौत)

[1/1/1]- रामादेवी पत्नी बहादुर

[1/1/2]-टीनूराम पुत्र बहादुर जाति अहीर ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम

[1/1/3]- कमलेश पुत्री बहादुर पत्नी महीपाल जाति अहीर ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला–अलवर (राज0)

[1/1/4]-शर्मिला पुत्री बहादुर सिंह पत्नी संदीप जाति अहीर ग्राम मौहनपुर तहसील बावल जिला रेवाडी (हरि0)

[1/1/5]-विमलेश पुत्री बहादुर पत्नी सुभाष जाति अहीर ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0

[1/1/6]-सुमन पुत्री बहादुर सिंह पत्नी ललित जाति अहीर ग्राम मौकलवास

[1/1/7]- सोना पुत्र बहादुर सिंह पत्नी सोनू जाति अहीर ग्राम मौकलवास तहसील व जिला गुरूग्राम हरि0

[1/2]- भागमल (फौत)

[1/2/1]- धमेन्द्र

[1/2/2]- संदीप

[1/2/3]- प्रदीप पुत्रांन भागमल जाति अहीर निवासी ग्राम रामपुर

[1/3]- मनोहरलाल

[1/4]- पप्पू पुत्रांन सरदारा

[1/5]- कृष्णा

[1/6]- भगोती

[1/7]- बाला पुत्रीयान सरदारा जाति अहीरान ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

[1/8]- धनपती पुत्री सरदारा पत्नी [illegible] (फौत)

[1/8/1]- प्रमोद पुत्र

[1/8/2]- सरोज पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

[1/8/3]- मुकेश पुत्री

[1/8/4]- महेश पुत्र धनपति पत्नी भीखराम जाति अहीर ग्राम रामपुर हाल आबाद कुरावटा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरि0)

:– वादीगण

:: बनाम ::

1.कृष्णपाल पुत्र श्री रूपराम जाति अहीर निवासी खिरदपुर (गौतोली) तहसील तिजारा जिला–अलवर। हाल निवास रामपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

2.सवितादेवी पत्नि कृष्णपाल जाति अहीर निवासी खिरदपुर (गौतोली) तहसील तिजारा जिला–अलवर। हाल निवास रामपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी जेर
दफा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

3. श्री समय सिंह अभिभाषक प्रार्थी
4. श्री नरहरि व्यास अभिभाषक अप्रार्थीगण

अतः वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी खं0 नं0 532/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम में सरदारा पुत्र भीवंला कौम अहीर साकीन देह खातेदार की रहेगी। इसी प्रकार खं0नं0 532/2 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम में कृष्णपाल पुत्र रूपराम, सविता देवी पत्नि कृष्णपाल संभाग कौम अहीर निवासी खिदरपुर (गौतोली) तहसील तिजारा खातेदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2020 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

धर्मेन्द्र सिंह (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम(अलवर)